

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री पदुमलाल पटेल व्या.शा.उ.मा.शाला देवगांव जिला रायगढ़ ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.11.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई थी । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदकम सूची में श्री पटेल का नाम स.क. 9864 (बिलासपुर) (नियुक्ति दिनांक 14.10.86) पर अंकित है । स.क. 9778 में श्री बी.एस.सिन्हा (रायपुर) (नियुक्ति दिनांक 29.10.86), स.क.10131 में श्री एम.एल.गुप्ता(सरगुजा संभाग) (नियुक्ति दिनांक 27.12.86 ) स.क. 10173 में श्री आर.के.विश्वकर्मा (सरगुजा संभाग)(नियुक्ति दिनांक 30.12.86) (सभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में तत्समय पदस्थ थे ) के नाम अंकित है । दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन तीनों को पदोन्नत किया गया है । श्री पटेल के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया, कि संभवतः श्री पटेल का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया, जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान में श्री पटेल 10.12.2005 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशलन पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री पदुमलाल पटेल का नाम सरल कमांक-1965 श्री बी.एस.सिन्हा के नाम के नीचे एवं सरल कमांक 1966 श्री आर.डी.साहू के नाम के उपर सरल कमांक 1965 ए पर जोड़ा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक

पृष्ठांकन कमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/  
आदेश  
रायपुर दिनांक

श्री जीवराखन लाल नायक व्या.शा.उ.मा.शाला कोतरा जिला रायगढ़ ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.11.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद की वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदकम सूची में श्री नायक का नाम अंकित नहीं है । उक्त सूची में श्री शांतनु विश्वास (रायपुर संभाग) (नियुक्ति दिनांक 20.9.86) में सरल कमांक 9718 पर अंकित है जिन्हें दिनांक 7.9.99 को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई । उक्त कार्यवाही विवरण में श्री नायक के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी न होने के कारण,समिति का मत है कि संभवतः श्री नायक का नाम दिनांक 1.4.98 की वरिष्ठता सूची में अंकित होने से छूट गया होगा,जिससे तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान में दिनांक 9.12.2005 से श्री नायक व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशलन पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री जीवराखनलाल नायक का नाम सरल कमांक-1978 श्री अचल कुमार यादव के नाम सरल कमांक 1979 श्री शांतनु विश्वास के नाम के उपर सरल कमांक 1978 ए पर जोड़ा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन कमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

रायपुर,दिनांक

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री बी.के.पटेल व्याख्याता शा.उ.मा.शाला किरारी (ड) जिला जांजगीर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.1.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । दिनांक 1.4.98 की पदकम सूची में इनका नाम स.क. 9368 पर दर्ज है । इसी सूची में श्री शांतनु विश्वास (रायपर संभाग ) नियुक्ति दिनांक 20.9.86 का नाम सरल कमांक 9718 पर दर्ज हैं, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई । विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में श्री पटेल के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवत श्री पटेल का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 26.7.2008 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री बी.के. पटेल का नाम सरल कमांक-1978 श्री अचल कुमार यादव के नाम सरल कमांक 1979 श्री शांतनु विश्वास के नाम के उपर सरल कमांक 1978 बी पर जोडा जाता हैं ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

रायपुर,दिनांक

पृष्ठांकन कमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग

- 2 सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री माधव सिंह चन्द्रा व्याख्याता शा.क.उ.मा.शाला अकलतरा ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.7.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई हैं । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 की पदकम सूची में इनका नाम नहीं है । इसी सूची में सरल कमांक 16187 श्री आई.पी. यादव (बिलासपुर संभाग ) (नियुक्ति दिनांक 29.8.90 )स.क. 15096 में श्री आर.के.तिवारी (नियुक्ति तिथि 20.3.89) का नाम दर्ज हैं, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन तीनों को पदोन्नत किया गया है । विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में श्री चन्द्रा के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री चन्द्रा का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान में श्री चन्द्रा दिनांक 25.6.07 से व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री माधव सिंह चन्द्रा का नाम सरल कमांक-1814 श्री पी.के.चटर्जी के नाम के नीचे सरल कमांक 1815 श्रीमती जे.आर.बेन के नाम के उपर सरल कमांक 1815 ए पर जोडा जाता हैं ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन कमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/

रायपुर,दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री भरत कुमार सोनी व्याख्याता शा.कन्या उ.मा.शाला गौरेला जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 5.3.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया। दिनांक 1.4.98 की पदकम सूची में इनका नाम स.क. 13589 पर दर्ज है । इसी सूची में सरल कमांक 16187 श्री आई.पी.यादव (बिलासपुर संभाग ) (नियुक्ति दिनांक 29.8.90 )स.क. 15096 में श्री आर.के.तिवारी (नियुक्ति तिथि 20.3.89) का नाम दर्ज है, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई । विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में श्री सोनी के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री सोनी का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 30.3.2007 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री भरत कुमार सोनी का नाम सरल

कमांक-1814 श्री पी.के.चटर्जी के नाम के नीचे सरल कमांक 1815 श्रीमती जे.आर. बेन के नाम के उपर सरल कमांक 1815 बी पर जोडा जाता हैं ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन कमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

रायपुर,दिनांक

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री अरुण कुमार तिवारी व्याख्याता शा.उ.मा.शाला डभरा जिला जांजगीर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.8.2006 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया . दिनांक 1.4.98 की पदकम सूची में इनका नाम स.क. 14514 पर दर्ज है । इसी सूची में सरल कमांक 16187 श्री आई.पी.यादव (बिलासपुर संभाग ) (नियुक्ति दिनांक 29.8.90 )स.क. 15096 में श्री आर.के.तिवारी (नियुक्ति तिथि 20.3.89) का नाम दर्ज हैं, । दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन तीनों को पदोन्नत किया गया है । श्री तिवारी के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री तिवारी का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 23.2.2007 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती हैं । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ

व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री अरूण कुमार तिवारी का नाम सरल क्रमांक-1814 श्री पी.के.चटर्जी के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1815 श्रीमती जे.आर. बेन के नाम के उपर सरल क्रमांक 1815 सी पर जोडा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
रायपुर,दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री एम.एस.साहू व्याख्याता शा.हिन्दु उ.मा.शाला रायपुर जिला रायपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.2.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । दिनांक 1.4.98 की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 6398 पर दर्ज है । इसी सूची में श्री जी.डी.दीवान (रायपर संभाग ) नियुक्ति दिनांक 23.3.85 है जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई । विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में श्री साहू के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री साहू का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान श्री साहू दिनांक 2.8.06 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता

पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री एम.एस.साहू का नाम सरल क्रमांक-1779 श्री सी.पी.पाण्डे के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1780 श्री जी.डी.दीवान के नाम के उपर सरल क्रमांक 1779 ए पर जोडा जाता हैं ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
रायपुर,दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री अभय मिश्रा, व्या.शा उ.मा.शाला कुदुण्ड जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई हैं । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 14202, पर दर्ज है । इसी सूची में श्रीमती नीता श्रीवास्तव (सरगुजा संभाग ) नियुक्ति दिनांक 23.9.93 का नाम सरल क्रमांक 18518 श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग ) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क्र.18757 पर दर्ज हैं, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन दोनो पदोन्नत किया गया है । श्री अभय मिश्रा, व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री मिश्रा का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 23.11.05 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती हैं । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री अभय कुमार मिश्रा का नाम सरल क्रमांक-1992 श्री सी.एल.सोनी के नाम

के नीचे सरल क्रमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह  
1992 ए पर जोड़ा जाता है ।

के नाम के उपर सरल क्रमांक

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

रायपुर,दिनांक

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्रीमती एस.रामचंदानी व्या. का.जि.शि.अ. बिलासपुर जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 18127 पर दर्ज है । इसी सूची में श्रीमती नीता श्रीवास्तव (सरगुजा संभाग ) नियुक्ति दिनांक 23.9.93 का नाम सरल क्रमांक 18518 श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग ) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क्र.18757 पर दर्ज है, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन दोनो पदोन्नत किया गया है । श्रीमती एस.रामचंदानी व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्रीमती रामचंदानी का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 23.11.05 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल

पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्रीमती एस.रामचंदानी का नाम सरल कमांक-1992 श्री सी.एल.सोनी के नाम के नीचे सरल कमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह के नाम के उपर सरल कमांक 1992 बी पर जोडा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन कमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

रायपुर,दिनांक

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

कमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री संजय दुबे व्या.शा.उ.मा.शाला मस्तुरी जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदकम सूची में इनका नाम स.क. 18482 पर दर्ज है । इसी सूची में श्रीमती नीता श्रीवास्तव (सरगुजा संभाग ) नियुक्ति दिनांक 23.9.93 का नाम सरल कमांक 18518 श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग ) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क. 18757 पर दर्ज हैं, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन दोनो पदोन्नत किया गया है । श्री संजय दुबे व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री दुबे का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 31.7.06 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र

वरिष्ठता प्रदान की जाती हैं । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.2007 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री संजय दुबे का नाम सरल क्रमांक-1992 श्री सी.एल.सोनी के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह के नाम के उपर सरल क्रमांक 1992 सी पर जोड़ा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
रायपुर, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी व्या.शा.उ.मा.शाला पंधी जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 18518 पर दर्ज है । इसी सूची में श्रीमती नीता श्रीवास्तव (सरगुजा संभाग ) नियुक्ति दिनांक 23.9.93 का नाम सरल क्रमांक 18518 श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग ) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क्र.18757 पर दर्ज है, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन दोनो पदोन्नत किया गया है । श्री सुधीर त्रिपाठी व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री त्रिपाठी का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया, जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 31.7.06 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय

पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती हैं । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.2007 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी का नाम सरल क्रमांक-1992 श्री सी.एल.सोनी के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह के नाम के उपर सरल क्रमांक 1992 डी पर जोड़ा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

रायपुर,दिनांक

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री संतोष चिचोलकर व्या.शा.उ.मा.शाला डी.के.पी.कोटा जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 18757 पर दर्ज है । इसी सूची में श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग ) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क्र.18757 पर दर्ज हैं, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन्हे पदोन्नत किया गया है । श्री संतोष चिचोलकर व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की

जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्री चिचोलकर का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया, जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका। वर्तमान 31.7.06 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती है। व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा। व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा। दिनांक 1.4.2007 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री संतोष चिचोलकर का नाम सरल क्रमांक-1992 श्री सी.एल.सोनी के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह के नाम के उपर सरल क्रमांक 1992 ई पर जोड़ा जाता है।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
रायपुर, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

श्री मंगला निवासकर व्या.शा.उ.मा.शाला बेलतरा जिला बिलासपुर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है। प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया। दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 18536 पर दर्ज है। इसी सूची में श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क्र.18757 पर दर्ज है, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में

इन्हे पदोन्नत किया गया है । श्रीमती मंगला निवासकर व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः श्रीमती निवासकर का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया, जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 31.7.06 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती हैं । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्रीमती मंगला निवास कर का नाम सरल क्रमांक-1992 श्री सी. एल.सोनी के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह के नाम के उपर सरल क्रमांक 1992 एफ पर जोड़ा जाता है ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
रायपुर, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/स्था.2/व्या./पदो/वरि/08/

रायपुर दिनांक

आदेश

कुमारी बी.आर.सैमुएल व्या.शा.उ.मा.शाला अकलतरा जिला जांजगीर ने अपने प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.9.08 द्वारा वर्ष 99 से व्याख्याता पद पर वरिष्ठता की मांग की गई है । प्रकरण पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया । दिनांक 1.4.98 को जारी मध्यप्रदेश राज्य की पदक्रम सूची में इनका नाम स.क्र. 18618 पर दर्ज है ।

इसी सूची में श्रीमती चम्पा सिंह (दुर्ग संभाग ) नियुक्ति तिथि 30.9.93 सूची क.18757 पर दर्ज हैं, जिन्हें दिनांक 7.9.99 की विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण में इन्हे पदोन्नत किया गया है । कुमारी बी.आर.सैमुएल व्याख्याता के संबंध में कोई लेख नहीं है । अतः किसी अन्य विरोधाभासी तथ्य की जानकारी के अभाव में यह मान्य किया गया कि संभवतः कु.सैमुएल का नाम त्रुटिवश विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारार्थ सूची में अंकित होने से छूट गया,जिस कारण से तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका । वर्तमान 31.7.06 से व्याख्याता पद पर कार्यरत है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.1.09 में इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है । अतः इन्हें दिनांक 7.9.99 से व्याख्याता पद की पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाती हैं । व्याख्याता पद पर इनका नोशनल पे फिक्सेशन उक्त दिनांक से मान्य होगा । व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा । दिनांक 1.4.07 की व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में कुमारी बी.आर.सैम का नाम सरल क्रमांक-1992 श्री सी.एल.सोनी के नाम के नीचे सरल क्रमांक 1993 श्रीमती चम्पा सिंह के नाम के उपर सरल क्रमांक 1992 जी पर जोडा जाता हैं ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़  
रायपुर,दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.2/व्या./पत्र वरि/99/  
प्रतिलिपि:-

- 1 निज सचिव,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
- 2 सचिव,छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर
- 4 संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त,  
लोक शिक्षण संचालनालय,  
छत्तीसगढ़

